न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 59/2017

कोदन मियाँ - बनाम - फरीमजान मियाँ वगैरह

धारा 145 दं० प्र० सं०

आदेश फलक

16.9.17 अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी नवडीहा ओ०पी० से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों के विरूद्ध नोटिस निर्गत कर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु विवाद ग्रस्त भूमि पर दं० प्र० सं० की धारा 145 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण-पृच्छा की माँग की गयी।

विवादित भूमि निम्न है :- मौजा - गोरो खाता नं० 57 प्लॉट नं० 1010 रकवा 11½ डी० चौहद्दी :- उ० - गली, द० - गली, पु० - हाडी मियाँ प० - कोदन मियाँ। उक्त प्रश्नगत विवादित भूमि के संदर्भ में उभय पक्षों के ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया है। जिसमें उनका कथन लिखित बहस में अंकित है।

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष दिनांक 15.11.11 को बजरिये रजिस्ट्री केवाला से खरीद किया गया है। जिसका दाखिल खारिज कर रसीद भी निर्गत कर लिया है। उक्त संदर्भ में उनके द्वारा केवाला एवं रसीद की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया है।

दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है उसपर जोत-आबाद करते चले आ रहे हैं तथा भूमि पर द्वितीय पक्ष का घर, कुआँ, पेड, पौधे है। उनके द्वारा भूमि के संदर्भ में

Scanned with CamScanner

कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि के मामले में उभय पक्षों के द्वारा दखल के बारे में कोई तथ्य प्रस्तुत नही कर सके है।

मामला स्वत्व का प्रतीत होता है। जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय में संभव है।

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमण्डल पदाधिकारी
खोरीमहुआ।

अनु० दा०